“बीज उपचार हेतु राज्यव्यापी अभियान”

खरीफ फसलों में रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए शत प्रतिशत बीजोपचार के राष्ट्रव्यापी अभियान की सफलता को देखते हुए कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार ने इसे रबी फसलों में भी जारी रखने का फैसला किया है। यह जानकारी देते हुए कृषि निदेशक, डा0 जे0 सी0 राणा ने कहा कि इस अभियान को देश में “राष्ट्रीय टीकाकरण व पल्स पोलियो” अभियान की तर्ज पर चलाया जा रहा है। ***इस अभियान के अन्तर्गत विभाग द्वारा रबी मौसम में 30,000 क्विंटल बीज उपचारित करने के बाद किसानों में वितरित किया जायेगा, जिस पर 13.50 लाख रूपये खर्च किए जायेंगे। किसानों को अपने बीज उपचारित करने के लिए 100 प्रतिशत सहायता दी जायेगी। इसके अन्तर्गत 30,000 क्विंटल बीज उपचारित किया जायेगा, जिस पर 27.00 लाख रूपये खर्च किए जायेंगे।***

डा0 राणा ने कहा कि सभी तरह की फसलों के बीज बीजजनित व मृदाजनित रोगों व कीटों से ग्रसित होते हैं, जो न केवल फसल उगते समय बल्कि फसल की अन्य अवस्थाओं में भी भारी नुकसान पहुँचाते हैं। इस अभियान का उद्देश्य बीजोपचार द्वारा फसलों को इन रोगों व कीटों से छुटकारा दिलवाना है। बीजोपचार का अभिप्राय ऐसी विधियों से है जिसमें बीजों या पौध प्रवर्धन सामग्री [vegetative propagation material] *को विभिन्न रोगाणुओं, कीटों व अन्य नाशीजीवों को नियन्त्रित करने के लिए रासायनिक या जैविक पदार्थों से उपचारित किया जाता है। बीजोपचार से होने वाले लाभों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजोपचार करने से बेहतर बीज अंकुरण, पर्याप्त स्वस्थ पौधे, स्वस्थ पौधों के कारण अधिक पैदावार व बीजाई के समय से ही रोगों व कीटों पर नियंत्रण रहता है। छिड़काव की तुलना में बीजोपचार करना आसान व सस्ता होता है।*

डा0 राणा ने बताया कि कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा 1 से 15 अक्तूबर, 2009 तक यह अभियान चलाया जायेगा। इस हेतु विभाग द्वारा राज्य/ जिला/ खण्ड स्तर पर बीजोपचार अभियान समन्वय समितियों का गठन किया गया है। अभियान

के दौरान किसान प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जायेगा, जिसमें किसानों को बीजोपचार के तरीकों व इससे होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी जायेगी। आगामी रबी मौसम की अनाज़, मटर, तिलहन, दलहन व चारा फसलों का उपचारित बीज किसानों में वितरित किया जायेगा। इस बीज उपचार पर होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत {अधिकतम 45 रूपये प्रति क्विंटल} विभाग द्वारा वहन किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत बीज के विक्रय मूल्य में शामिल किया जायेगा। किसानों को अपने बीज भी उपचारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। अपना बीज उपचारित करने के लिए किसानों को 100 प्रतिशत सहायता {अधिकतम 90 रूपये प्रति क्विंटल} दी जायेगी। बीजोपचार हेतु किसानों को कार्बेन्डाजिम 50 डब्लयू पी नामक फफूंदनाशक उपलब्ध करवाया जायेगा। यह सहायता 2 एकड़ के लिए गेहूँ बीज व 1 एकड़ के लिए अन्य फसलों के बीज पर उपलब्ध है।

उन्होंने आगे बताया कि कीटनाशक व बीज विक्रेताओं से भी अनुरोध किया गया है कि वे भी इस बारे में व्यापक प्रचार करें। कृषि विश्वविद्यालय व कृषि विज्ञान केन्द्रों को भी इस अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रचार प्रसार में इलैक्ट्रॉनिक व प्रिन्ट मिडिया की सशक्त भूमिका है, इसके दृष्टिगत इन माध्यमों के द्वारा बार-बार इस अभियान का प्रचार किया जायेगा तथा बीजोपचार पर तकनीकी साहित्य भी किसानों को उपलब्ध करवाया जायेगा।

उन्होंने किसानों को आह्वान किया कि वे इस अभियान को सफल बनाने में बढ़ चढ़ कर भाग लें तथा बीजों को उपचारित करने के बाद ही बोऐं। इससे जहां फसलों की पैदावार बढ़ेगी, वहीं उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

कृषि सूचना अधिकारी,
कृषि निदेशालय, शिमला-5